राजकोषीय लूट का पर्दाफाश

सामयिक

प्रभात कुमार राय

कामनवेल्थ गेम्स स्कैंडल की जांच का काम सुप्रीमकोर्ट के निर्देशन में सीबीआई अंजाम दे रही है और कामनवेल्थ गेम्स आयोजन कमेटी के चेयरपरसन रहे कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगी तिहाड़ जेल में हैं, अब मैडम शीला की बारी है।

भारतीय गणतंत्र के जनमानस को सुप्रीम कोर्ट के साथ कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल (कैग) को भी सलाम करना चाहिए कि राजनीति के भ्रष्टतम दौर में भी उसने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का जबरदस्त परिचय देकर देश के मेहनतकशों के दमखम पर निर्मित राजकोष की लूट का पर्दाफाश किया। कुछ माह पूर्व 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल केस में करोड़ों की लूट उजागर की और अब फिर कामनवेल्थ गेम्स स्कैंडल में राजकोष की विशाल लूट का बिंदुवार पर्दाफाश किया।

कामनवेल्थ गेम्स स्कैंडल पर संसद के पटल पर पेश कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने स्कैंडल में अहम किरदार अदा किया। कैग ने उन्हें मुलजिम करार देकर कटघरे में खड़ा किया है। रिपोर्ट में पीएमओ की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कामनवेल्थ गेम्स में स्ट्रीट लाइटों का ठेका स्पेस एज कंपनी को दिलाने में निजी तौर पर रुचि ली। कैग द्वारा शीला दीक्षित पर अपनी चहेती कंपनी स्पेज एज को फायदा पहुंचाने की गरज से राजकोष को 31.07 करोड़ रुपयों की हानि पहंचाने का आरोप आयद किया गया। पौधों की खरीदारी में कैग ने सीधे शीला दीक्षित पर इल्जाम आयद किया। कैग रिपोर्ट में दिल्ली की सड़कों के निर्माण और सौंदर्यकरण के लिए सौ करोड़ से अधिक का स्कैंडल अंजाम देने का इल्जाम भी दिल्ली सरकार पर आयद किया। इससे पूर्व कामन वेल्थगेम्स स्कैंडल की जांच अंजाम देने वाली शुंगलू कमेटी ने भी शीला दीक्षित को इस स्कैंडल में दोषी करार दिया था।

इतनी ज्यादा छीछालेदर के बाद तो मैडम शीला दीक्षित को खुद ही तत्काल त्यागपत्र पेश कर देना चाहिए। आखिरकार सारी तिकड़मों के बावजूद कर्नाटक के येदियुरप्पा को भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को अलविदा कहना ही पड़ा। शीला दीक्षित को यह गुमान हो सकता है कि उनका परिवार गांधी-नेहरू परिवार के अत्यंत निकट रहा है, इसलिए वह इस मामले में बच सकती हैं, तो यह उनकी गलतफहमी है। भारतीय गणतंत्र की अद्भभुत और असीम ताकत ही है कि संविधान के प्रबल पहरुए और राजसत्ता के प्रमुख स्तंभ की शानदार भूमिका का निर्वाह करते हुए, राष्ट्र के सुप्रीमकोर्ट ने बेहद शक्तिशाली राजनेताओं को राजकोष की जबरदस्त लूट के इल्जाम में जेल के सीखचों के पीछे धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट के कारण ही भारतीय गणतंत्र की साख और इज्जत समूची दुनिया में अक्षुण्ण रह सकी। कामनवेल्थ गेम्स स्कैंडल की जांच का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई अंजाम दे रही है और भारत को विश्व में बदनाम करने वाले इस संगीन घोटाले के तहत कामनवेल्थ गेम्स आयोजन कमेटी के चेयरपर्सन रहे कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगी तिहाड़ जेल में हैं, अब मैडम शीला की बारी है।

2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल क्रिमिनल केस के तहत तिहाड़ जेल में कैद पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री एंडीमुथ्थु राजा ने केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओपी सोनी के समक्ष यह इल्जाम आयद किया कि 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल केस में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम की पूर्ण सहमति से ही सभी एक सौ बाईस 2जी स्पैक्ट्रम लाइसेंस आवंटित किए गए। ए राजा ने अदालत को बताया कि उसने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 26 दिसंबर 2007 को प्रथम पत्र प्रेषित किया, इसके बाद 2जी स्पैक्ट्रम लाइसेंस आवंटन के दौरान 18 शासकीय पत्र लिखे, जो ऑन रिकार्ड हैं और अदालत द्वारा तलब किए जा सकते हैं। ए राजा ने अदालत को यह भी बयान दिया कि टेलीकॉम मंत्रालय की प्रत्येक कायर्वाही के विषय में प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी प्रदान की गई। ए राजा ने अदालत को बताया कि 4 दिसंबर को 2007 को तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि स्पैक्ट्रम आवंटन में 2001 में सुनिश्चित की जा चुकी 1659 करोड़ राशि की एंट्री फीस को परिवर्तित करने की जरुरत नहीं है और उसे बाकयदा जारी रखा जाए।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए मीडिया के समक्ष कहा था कैग की रिपोर्ट में एक लाख पिचहत्तर करोड़ का जो राजकोषीय नुकसान बताया गया, वह बेबुनियाद है और सरकार को 2 जी स्पैक्ट्रम आवंटन से कदाचित कोई राजकोषीय हानि नहीं हुई। केंद्र सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से कपिल सिब्बल ने ऑन रिकार्ड कहा था कि ए राजा ने 2 जी स्पैक्ट्रम मामले में बाकायदा प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को प्रत्येक कायर्वाही के विषय में जानकारी प्रदान की। यह बयान एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री का था, जो ए राजा के बयान से अदालत में दिए गए बयान से हूबहू एकदम मेल खाता है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2 जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल पर अनेक पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, जिनका जवाब तक देने की जहमत प्रधानमंत्री ने नहीं उठाई। 27 नवंबर 2010 को सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक याचिका सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की तो मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीमकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और सीबीआई को सीधे अपने निर्देशन में मामले की जांच पड़ताल करने का हुक्म जारी किया। इसके पश्चात ही सीबीआई ने कड़ी कायर्वाही करते हुए पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री एंडीमुथ्थु राजा, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बरुआ, ए राजा के निजी सचिव आरके मंडोलिया, शाहिद उस्मान बलवा, स्वान, यूनिटेक और रिलायंस आदि टेलीकॉम कंपनियों की अनेक हस्तियों को गिरफ्तार किया। 2 जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल में यदि प्रधानमंत्री पाक-साफ रहे हैं तो उन्होंने सभी कुछ जानते हुए, स्वयं कड़ी कायर्वाही अंजाम क्यों नहीं दी। यही वह खतरनाक शक की सुई है, जो मनमोहन सिंह की ओर घूम चुकी है।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission